

Sl. No. 134

To be issued in Hindi

1
12

No. A. 43020/01/2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs

26 APR 2013

New Delhi, Dated the 23rd April 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Transparency and Good Governance- Right to Information-publication of powers of officers.

The undersigned is directed to forward herewith a letter dated 31.03.2013 of Shri Mani Ram Sharma (received in this Ministry 05.04.2013 on the above mentioned subject.

Since the subject matter (point no.1) of the letter does not pertain to any particular Division of this Ministry, the letter is forward to all CPIOs for taking appropriate action.

Encl: As Above

Surojit Ghosh
(Surojit Ghosh)
Under Secretary to the Govt. of India

*Pl compile all info pertaining to
ISS / Ministry list as envisaged
vs 4 of To RTI Act.*

All CPIOs in the Ministry of Home Affairs / Department of Justice/ Department of Official Language (as per list attached)

*DCM(7)
vs (122)*

Filed

Copy for information to:-

Shri Mani Ram Sharma
Advocate,
Nakul Nivas, Behind Roadways Depot,
SardarShahr-331403
District-Churu(Rajasthan)

*RTI-134/Dir(25-1)/13
6/5/13*

श्री सुशील कुमार शिंदे,
माननीय गृह मंत्री,
नोर्थ ब्लोक,
नई दिल्ली - 110001

REGISTERED

R
86540
5/4/13

मान्यवर,

पारदर्शी एवं स्वच्छ शासन - सूचना का अधिकार अधिकांश अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन

कृपया उक्त प्रसंग में मेरे पूर्व निवेदन दिनांक 17.03.2013 का सन्दर्भ लें जिसके माध्यम आपसे निवेदन किया गया था कि पारदर्शी एवम भ्रष्टाचारमुक्त शासन के लिए शक्तियों के प्रयोग करने में पारदर्शिता और समय मानक निर्धारित होना आवश्यक है क्योंकि विलम्ब भ्रष्टाचार की जननी है इस दिशा में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(b)(ii) में सभी स्तर के अधिकारियों की शक्तियां स्वप्रेरणा से प्रकाशित करना वाध्यता है किन्तु गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लोक, नई दिल्ली - 110001 सचिवालय ने इसकी अभी तक अनुपालना नहीं की है और सचिवगण अपनी शक्तियों के अतिक्रमण में निर्णय ले रहे हैं व नीतिगत मामलों में जन परिवेदनाओं को, बिना किसी प्रभारी मंत्री की अनुमति के, सचिव स्तर पर ही निस्संकोच निरस्त कर दिया जाता है, अधिकारियों की शक्तियों के सार्वजनिक दृष्टि गोचरता में रखने से ही जनता जान सकती है किसी अधिकारी द्वारा किया गया कोई कार्य उसकी शक्ति में है अथवा नहीं।

1. सचिवालय ने जो भी आंशिक सूचना अधिनियम की धारा 4 के अनुसरण में प्रकाशित कर रखी है वह बिखरी हुई है व एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होने से नागरिकों के लिए दुविधाजनक है। सचिवालय ने धारा 4(1)(b)(i) से लेकर 4(1)(b)(xxvii) तक की भावनात्मक अनुपालना नहीं की है और धारा 4(1)(b)(ii) की तो विलकुल भी अनुपालना नहीं की है। अतः अब धारा 4(1)(b)(ii) की अनुपालना की जाये और धारा 4 से सम्बंधित समस्त सूचना एक ही स्थान पर समेकित कर विन्दुवार/धारा - उपधारावार सहज दृश्य रूप में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाये ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी प्राथमिकी की अनुपालना कर दी गयी है व कोई प्रावधान अनुपालना से छूटा नहीं है।

2. आप सचिवालय के मुखिया हैं और समस्त निर्णायक शक्तियां आप में ही निहित हैं। आपको परागर्श देने और निर्णय में सहायता देने के लिए विभिन्न स्तर के सचिव और कमेटियां हैं किन्तु उन्हें किसी भी नियम, नोटि सम्यद विषय या नागरिकों के प्रतिवेदन/याचिका को स्वीकार करने का अधिकार

pl. examine for

50(9T)

8.4.13

JS/Sec-20

5/4/13

5/4/13